सं. 1/27/2011-पी एंड पी डब्लयू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
7 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के काग़जातों के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन अदायगी स्कीम' में यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी द्वारा पेंशन शुरू होने से पहले वितरक बैंक को वचन पत्र प्रस्तुत करना है। इस वचन पत्र में पेंशनभोगी उस धनराशि को वापस करने या उसकी प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है जिसका वह हकदार नहीं है।

2. यह पता चला है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन के भुगतान में मुख्यत: दो कारणों से देरी होती है। पहला, पेंशनभोगी द्वारा इस सूचना को प्राप्त होने में देरी कि पेंशन के कागजात बैंक में पहुंच गए हैं, और दूसरे पेंशनभोगी की ओर से वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक पहुंचने में देरी।

3. कुछ समय से सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन कागजात के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने की संभावना पर विचार किया जाता रहा है। अत: व्यय विभाग की उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 द्वारा व्यक्त सहमति से निम्नलिखित सरलीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व फार्म 5 एवं अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उससे वांछित वचन पत्र लिया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए लेखा अधिकारी/ सीपीएओ द्वारा पेंशन अदायगी आदेश के साथ इस वचन पत्र को पेंशन वितरक बैंक को अग्रेषित कर दिया जाए। पेंशन दस्तावेजों के साथ इस वचन पत्र के प्राप्त होते ही बैंक, पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा कर दें।

4. अब पेंशनभोगी को पहली पेंशन का भुगतान शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंश्न अदायगी आदेश की बैंक प्रति भेज दी गई है, पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की अन्य देयताओं के साथ पेंशन अदायगी आदेश की पेंशनभोगी वाली प्रति भी सौंप दी जाए। यह उन सभी मामलों में व्यवहार्य होगा जिनमें पेंशनभोगी ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं।

5. यदि कोई कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से दूर किसी स्थान पर तैनात है या जो किसी अन्य करणवश ऐसा मानता है कि उसे अपनी पीपीओ की प्रति बैंक से लेना अधिक सुविधाजनक होगा, तो वह अपने पेंशन कागजात जमा करते समय कार्यालयाध्यक्ष को अपने इस विकल्प के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है।

6. महालेखा नियंत्रक कार्यालय से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया सभी वेतन एंव लेखा कार्यालयों और सभी पेंशन वितरक बैंको को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुपालन तथा पेंशन स्वीकृति और अदायगी प्रक्रिया एवं स्कीम पुस्तिका में यथोचित संशोधन करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया अब से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें। डाक एवं दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया लेखा अधिकारियों और पेंशन वितरक डाक घरों/बैंकों को दिए जाने वाले निर्देशों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने संबंधी यथोचित संशोधन करने का कष्ट करें।

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सूची के अनुसार
2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-।।, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
4. व्यय विभाग (ई.वी शाखा को उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 के संदर्भ में), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
6. दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।